



वर्ष 2023 – 24 और इसके आगे के लिए सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों
की नियुक्ति संबंधी नीति

वर्ज़न 1.0

लेखा विभाग

यह नीति वर्ष 2022 – 23 और इसके आगे के लिए “सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सनबंधी नीति” का अधिक्रमण और प्रतिस्थापन है। यह नीति इंडियन बैंक की संपत्ति है, और इंडियन बैंक के पूर्व अनुमती के बिना पुनरुत्पादित या प्रतिलिपि, किसी भी रूप या माध्यम से, पूर्ण या आंशिक रूप से नहीं किया जा सकता।



Handwritten signature



शीर्षक

वर्ष 2023 – 24 और इसके आगे के लिए सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति संबंधी नीति - वर्जन 1.0

वर्जन

वर्ष 2023–24 और इसके आगे के लिए सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति संबंधी नीति

1.0

स्वामित्व :	लेखा विभाग
निम्न विभाग द्वारा प्रस्तुत :	लेखा विभाग
निम्न प्राधिकारी द्वारा समीक्षित :	
निम्न प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित :	बोर्ड
प्रभावी तिथि :	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि से
वैधता :	वित्तीय वर्ष 2023 -24 और इसके आगे के लिए किसी भी अंतरिम नीति संशोधनों के अधीन 2024-25 तक वैध





वर्जन नियंत्रण

वर्जन सं.	निम्न विभाग द्वारा प्रस्तुत	निम्न प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित	प्रभावी तिथि
1	लेखा विभाग	बोर्ड	अनुमोदन की तिथि से

वर्ष के दौरान हुए बदलाव

जारी करने की तिथि	परिपत्र सं	परिपत्र का नाम



154.
22
Binit
A



विषय सूची

1. नीति का प्रयोजन	5
2. अनुप्रयोग क्षेत्र	5
3. नीति का उद्देश्य	5
4. विनियामक संदर्भ	5
5. क्रियाविधि संबंधी दिशानिर्देश	5
6. फर्म/फर्मों से प्राप्त किए जानेवाले वचनपत्र/ घोषणापत्र	9
7. कार्यभार निर्धारण	9
8. प्रत्येक एससीए द्वारा लेखापरीक्षा की जानेवाली शाखाओं की संख्या	9
9. आन्तरिक कार्य, यदि कोई हो	9
10. कार्यकाल और रोटेशन	10
11. कार्य समाप्ति	10
12. एससीए का पेशा मानक	10
13. एससीए की गुणवत्ता पर फीडबैक	10
14. नीति की समीक्षा	10
15. लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय	11
16. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश	11
17. अन्य मद	11
अनुबंध - I	12
अनुबंध - II	14
अनुबंध - III	15



1. नीति का प्रयोजन

वित्तीय वर्ष 2023-24 और इसके आगे से सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति संबंधी नीति का प्रयोजन आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक में एससीए की नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु पात्रता और क्रियाविधि पर मार्गदर्शन प्रदान करना है।

2. अनुप्रयोग क्षेत्र

यह नीति सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रयोज्य है।

3. नीति का उद्देश्य

इस नीति दस्तावेज़ का उद्देश्य बैंक के लिए सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना है।

4. विनियामक संदर्भ

- दिनांक 27.04.2021 के संदर्भ सं DoS.CO.ARG.SEC.01/08.91.001/2021-22 के माध्यम से आरबीआई अधिसूचना सं RBI/2021-22/25 और आरबीआई द्वारा दिनांक 11.06.2021 को जारी अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न;
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी) में सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति संबंधी आरबीआई के दिनांक 12.09.2023 के पत्र संख्या Dos.ARG.No S4731/08:01:003/2023-24

5. क्रियाविधि संबंधी दिशानिर्देश

क) एससीए की संख्या

विगत वर्ष के अंत तक रु.15000 करोड़ और उससे ज्यादा के आस्ति वाले संस्थानों के लिए न्यूनतम 2 लेखापरीक्षा फर्मों की संयुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित की जाए कि संस्था के संयुक्त लेखापरीक्षकों में कोई उभयनिष्ठ भागीदार न हो और वे लेखापरीक्षा फर्मों की एक ही नेटवर्क के तहत न हो। इसके अतिरिक्त, बैंक सांविधिक लेखापरीक्षा कार्य के प्रारंभ से पूर्व एससीए के साथ चर्चा कर उनके बीच कार्य आबंटन को तय कर सकता है।

बैंक, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर एससीए की संख्या निर्धारित करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रासंगिक कारकों जैसे आस्तियों की मात्रा एवं अवस्थिति, लेखांकन और प्रशासनिक ईकाइयाँ, लेनदेन की जटिलता, कंप्यूटरीकरण के स्तर, अन्य स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रविष्टियों की उपलब्धता, वित्तीय रिपोर्टिंग में चिह्नित जोखिम, आदि का ध्यान रखा जाएगा।

एससीए की नियुक्ति हेतु वास्तविक संख्या बोर्ड द्वारा निम्नलिखित सीमाओं के अधीन तय की जाएगी :

क्र.	संस्था के आस्ति की मात्रा	एससीए की अधिकतम संख्या
1	रु.5,00,000 करोड़ तक	4
2	रु.5,00,000 करोड़ से अधिक से रु.10,00,000 करोड़ तक	6
3	रु.10,00,000 करोड़ से अधिक से रु.20,00,000 करोड़ तक	8
4	रु.20,00,000 करोड़ से अधिक	12



दिनांक 31.03.2023 तक बैंक की आस्ति की मात्रा निम्न श्रेणी – “रु.5,00,000 करोड़ से अधिक से रु.10,00,000 करोड़ तक” के तहत आती है और बैंक में अधिकतम 6 एससीए हो सकते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए, बैंक 5 एससीए नियुक्त कर सकते हैं और इसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जायेगी।

ख) एससीए हेतु बुनियादी पात्रता :

आरबीआई ने विगत वर्ष की 31 मार्च तक संस्था की आस्ति की मात्रा के आधार पर एससीए के लिए पात्रता मानदंड तय किया है।

बैंक निम्न श्रेणी – “विगत वर्ष की 31 मार्च तक रु.15000 करोड़ से अधिक मात्रा की आस्ति वाली संस्था” के तहत आती है और इसके अनुसार निम्नलिखित मानदंडों का पालन करेगी :-

विगत वर्ष की 31 मार्च तक संस्था की आस्ति की मात्रा	कम से कम 3 वर्षों के लिए फर्म से संबंधित पूर्णकालिक भागीदार(एफटीपी) की न्यूनतम संख्या	कम से कम 3 वर्षों के लिए फर्म से संबंधित कुल एफटीपी में से सहयोगी सनदी लेखाकार (एफसीए) भागीदार की न्यूनतम संख्या	सीआईएसए/ आईएसए अहर्ता सहित पूर्णकालिक भागीदारों/ प्रदत्त सीए की न्यूनतम संख्या	फर्म के लेखापरीक्षा अनुभव की न्यूनतम वर्ष	पेशेवर कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या
रु.15000 करोड़ से अधिक	5	4	2	15	18

i) पूर्णकालिक भागीदारों की संख्या:

पूर्णकालिक भागीदार के रूप विचार करने के लिए सूची (पीएसबी के लिए) में शामिल होने की तिथि के अनुसार फर्म के साथ कम से कम एक वर्ष के लिए जुड़ा होना चाहिए। इसके अलावा, सभी वाणिज्यिक बैंकों और रु.1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले अन्य संस्थाओं के एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए, फर्म के कम से कम दो भागीदारों का कम से कम 10 वर्षों के लिए फर्म के साथ निरंतर संबंध होना चाहिए।

रु.1000 करोड़ से अधिक सम्पत्ति वाले सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए, फर्म के साथ पूर्णकालिक भागीदार के सहयोग का अर्थ अखंड संबंध होगा।

‘अखंड संबंध’ की परिभाषा निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित है :-

- पूर्ण कालिक भागीदार को अन्य फर्म/फर्मों में भागीदार नहीं होना चाहिए।
- उसे किसी अन्य संस्था में पूर्ण/आंशिक रूप से नियोजित नहीं किया जाना चाहिए।
- वह अपने नाम पर या अन्य कार्य से जुड़ा हुआ या अन्य गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 2 (2) के तहत उल्लिखित कार्य हैं।
- पीएसबी के मामले में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पूर्णकालिक भागीदारों के रूप में विचार करने के उद्देश्य से फर्म/एलएलपी से भागीदार की आय सी एंड एजी के कार्यालय द्वारा निर्धारित सीमा से कम नहीं होनी चाहिए।





ii) सीआईएसए/आईएसए अर्हता:

पैनल में जोड़े जाने के लिए सीआईएसए/आईएसए पात्रता वाले सवैतनिक सीए को सीआईएसए/आईएसए अर्हता प्राप्त सवैतनिक सीए के रूप में विचार करने के लिए उन्हें पैनल की तिथि तक फर्म में न्यूनतम एक वर्ष के लिए अविरल सेवाएं प्रदान करना जरूरी है।

iii) लेखापरीक्षा अनुभव :

वाणिज्यिक बैंक के लिए, लेखापरीक्षा अनुभव का अर्थ वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर)/ एआईएफआई के सांविधिक केन्द्रीय/शाखा लेखापरीक्षक के रूप में लेखापरीक्षा फर्म का अनुभव माना जाता है। लेखापरीक्षा फर्म के विलय और विलगाव के मामले में, विलय का प्रभाव विलय के 2 वर्ष के बाद दिया जाएगा जबकि विलगाव इस उद्देश्य के लिए तत्काल प्रभावी होगा।

iv) पेशेवर कर्मचारी :

पेशेवर स्टाफ में ऑडिट और आर्टिकल क्लर्क शामिल हैं जिन्हें बुक-कीपिंग और अकाउंटेंसी का ज्ञान है और जो ऑन-साइट लेखापरीक्षा में लगे हुए हैं लेकिन टाइपिस्ट/स्टेनो/कंप्यूटर ऑपरेटर/सचिव/अधीनस्थ कर्मचारी आदि शामिल नहीं हैं। इस उद्देश्य के लिए पेशेवर कर्मचारियों के रूप में विचार करने के लिए फर्म के साथ पेशेवर कर्मचारियों की सूची (पीएसबी के लिए) की तिथि के अनुसार कम से कम एक वर्ष के लिए जुड़ा होना चाहिए।

ग) अतिरिक्त विचारार्थ बिन्दु :

i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के शर्तों के अनुसार एससीए के रूप में नियुक्त होने के लिए प्रस्तावित लेखापरीक्षा फर्म को कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विधिवत पात्र होना चाहिए।

ii) ऑडिट फर्म किसी भी सरकारी एजेंसी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), आरबीआई या अन्य वित्तीय नियामकों द्वारा प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए।

iii) ऑडिट फर्म की नियुक्ति आईसीएआई की आचार संहिता/अपनाए गए ऐसे किसी अन्य मानकों के अनुरूप होगी और हितों के टकराव उत्पन्न नहीं करेगी।

iv) यदि चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म का कोई भागीदार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में निदेशक है, तो उक्त फर्म को किसी भी पीएसबी के एससीए के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म का कोई भागीदार बैंक में निदेशक है, तो उक्त फर्म को बैंक की किसी भी समूह संस्था के एससीए के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(इस नीति के प्रयोजन के लिए, समूह संस्थाओं का अर्थ निम्नलिखित संबंधों में से किसी के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित दो या दो से अधिक संस्थाएँ होंगी, यथा अनुषंगी-मूल (एस 21 के संदर्भ में परिभाषित), संयुक्त उद्यम (एस 27 के संदर्भ में परिभाषित), सहयोगी (एस 23 के संदर्भ में परिभाषित), प्रमोटर-प्रमोटी [जैसा कि सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी (शेयरों का अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 में प्रदान किया गया है], एक संबंधित पक्षकार (एस 18 के संदर्भ में परिभाषित), सामान्य ब्रांड नाम, तथा 20% और उससे अधिक के इक्विटी शेयरों में निवेश।)

v) ऑडिट फर्म के पास कंप्यूटर सहबद्ध लेखापरीक्षा टूल्स और प्रविधि (सीएएटीटी) और सामान्यकृत लेखापरीक्षा सॉफ्टवेयर (जीएस) को लागू करने की क्षमता और अनुभव होना चाहिए, जो बैंक के कंप्यूटर वातावरण की डिग्री/जटिलता के अनुरूप हो, जहां लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लेखा और कारोबार विवरण क्रम में हो।

घ) बुनियादी पात्रता मानदंड का निरंतर अनुपालन

यदि कोई ऑडिट फर्म (नियुक्ति के बाद) किसी भी प्रकार की पात्रता मानदंड (किसी भी भागीदार के इस्तीफा, मृत्यु आदि के कारण, कर्मचारी, सरकारी एजेंसियों, एनएफआरए, आईसीएआई, आरबीआई, अन्य वित्तीय नियामकों



आदि द्वारा की गई कार्रवाई के कारण), का पालन नहीं करती है, वह तत्काल पूरे विवरण के साथ बैंक से संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त, ऑडिट फर्म उचित समय के भीतर पात्र बनने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगी और किसी भी मामले में, ऑडिट फर्म को 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक सांविधिक लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले और वार्षिक लेखापरीक्षा के पूरा होने तक मानदंडों का पालन करना होगा।

लेखापरीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी असाधारण परिस्थितियों के मामले में, जैसे एक या अधिक भागीदारों, कर्मचारियों आदि की मृत्यु, जो किसी भी पात्रता मानदंड के संबंध में फर्म को अपात्र बनाती है, आरबीआई विवेकानुसार विशेष मामलों के रूप में लेखापरीक्षा को पूरा करने के लिए संबंधित ऑडिट फर्म की अनुमति देंगे।

ड) अपात्रता :

- एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए बैंक के समवर्ती लेखापरीक्षकों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह ऑडिट फर्मों के एक ही नेटवर्क के तहत एक ऑडिट फर्म या सामान्य भागीदारों वाली किसी अन्य ऑडिट फर्म पर भी लागू होगा।
- संयुक्त लेखापरीक्षकों को भागीदार या लेखापरीक्षा फर्मों के समान नेटवर्क के अंतर्गत नहीं होना चाहिए।

च) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एससीए की नियुक्ति की प्रक्रिया

1. संस्थाओं को एससीए की प्रत्येक रिक्ति के लिए न्यूनतम 2 ऑडिट फर्मों को शॉर्टलिस्ट करना होगा।
2. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, एससीए की रिक्तियों की संख्या के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करने के लिए अधिकृत हैं।
3. बैंक में एक ऑडिट फर्म हो सकती है जिसका मुख्यालय/शाखा उसी स्थान पर हो जहां बैंक का मुख्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय स्थित है। बैंक शेष रिक्तियों को देश के अन्य भागों का प्रतिनिधित्व करने वाली फर्मों से भरने का प्रयास करेगा।
4. एससीए के चयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार है:
 - क) भारतीय रिजर्व बैंक वार्षिक आधार पर बैंक को एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र सभी ऑडिट फर्मों की एकल सूची अग्रेषित करेगा।
 - ख) एससीए का चयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रति वर्ष प्रदान की गई पात्र फर्मों सूची में से किया जाएगा।
 - ग) बैंक आरबीआई से प्राप्त पात्र ऑडिट फर्मों की सूची से ऑडिट फर्मों को शॉर्टलिस्ट करेगा और डीजीएम-लेखा, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), जीएम (निरीक्षण और लेखापरीक्षा) और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) सम्मिलित मूल्यांकन समिति द्वारा चयन किया जाएगा तथा एसीबी को इस सहमति के लिए अनुशंसा किया जाएगा।
 - घ) एससीए की प्रत्येक रिक्ति के लिए मूल्यांकन समिति 3 ऑडिट फर्मों को शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्ट लिस्टिंग इस नीति में उल्लिखित पात्रता मानदंड (जैसे पूर्णकालिक भागीदारों की संख्या, पेशेवर कर्मचारियों की संख्या, सीआईएसए/आईएसए पात्र भागीदारों की संख्या/भुगतान किए जानेवाले सीए, एफसीए की संख्या आदि) पर आधारित होगी।
5. शॉर्टलिस्ट की गई ऑडिट फर्मों को वरीयता के क्रम में एससीए के चयन के लिए एसीबी के समक्ष रखा जाएगा।
6. एसीबी के परामर्श से बैंक द्वारा एससीए के चयन पर और आरबीआई द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुपालन की पुष्टि करने पर, बैंक एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए आरबीआई की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगा।
7. बैंक एसीबी की सहमति से एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए आरबीआई से पात्र ऑडिट फर्मों की सूची प्राप्त होने के एक महीने के भीतर आरबीआई से संपर्क करेगा।



S.S.P. & Princes

6. फर्म/फर्मों से प्राप्त किए जाने वाले वचनपत्र/घोषणाएँ

एससीए के रूप में नियुक्त होने के लिए प्रस्तावित ऑडिट फर्म प्रारूप बी (अनुलग्नक-1) के अनुसार प्रासंगिक जानकारी के साथ एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत इस निमित्त प्रस्तुत करेगी (संदर्भ: आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/2021-22/25 संदर्भ संख्या डीओएस सीओ.एआरजी.एसईसी. 01/08.91.001/2021-22 दिनांक 27.04.2021) कि ऑडिट फर्म इस उद्देश्य के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों का अनुपालन करती है। इस तरह के प्रमाणपत्र को ऑडिट फर्म की मुहर के साथ एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित ऑडिट फर्म के मुख्य भागीदार/रों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

7. कार्यभार निर्धारण

बैंक के एससीए के रूप में नियुक्त फर्म समवर्ती रूप से किसी विशेष वर्ष के दौरान अधिकतम चार वाणिज्यिक बैंकों (एक से अधिक पीएसबी या एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान नहीं [(नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, एक्विम बैंक) या आरबीआई सहित), आठ यूसीबी और आठ एनबीएफसी का वैधानिक लेखापरीक्षण कर सकती है जो प्रत्येक इकाई के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड और अन्य शर्तों के अनुपालन के अधीन और किसी अन्य कानूनों या नियमों द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के भीतर हो।

8. प्रत्येक एससीए द्वारा लेखापरीक्षा की जाने वाली शाखाओं की संख्या

बैंक एससीए को बकाया अग्रिमों के स्तर के क्रम में शीर्ष 20 शाखाओं को आबंटित करेगा ताकि ट्रेजरी शाखा के अलावा एससीए द्वारा बैंक के कुल सकल अग्रिमों का न्यूनतम 15% कवर किया जा सके।

9. आंतरिक कार्य, यदि कोई हो

एससीए द्वारा किसी भी गैर-लेखापरीक्षित कार्य (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 144 में उल्लिखित सेवाएं, आंतरिक कार्य, विशेष कार्य आदि) या समूह संस्थाओं(*) के लिए कोई लेखापरीक्षा/गैर-लेखापरीक्षा कार्य के बीच समय अंतराल एससीए के रूप में नियुक्ति से पहले या बाद में कम से कम एक वर्ष(**) होना चाहिए। फिर भी, एससीए के रूप में कार्यकाल के दौरान, एक ऑडिट फर्म बैंक को ऐसी सेवाएं प्रदान कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप आम तौर पर हितों का टकराव (***) नहीं हो सकता है और निदेशक मंडल के परामर्श से बैंक इस संबंध में अपना निर्णय ले सकता है। यह प्रतिबंध ऑडिट फर्मों के एक ही नेटवर्क के तहत ऑडिट फर्म या सामान्य भागीदारों वाली किसी अन्य ऑडिट फर्म पर भी लागू होगा।

(*) 'समूह संस्थाएं' शब्द यहां आरबीआई विनियमित संस्थाओं को संदर्भित करती हैं, जो परिपत्र में प्रदान की गई समूह इकाई की परिभाषा को पूरा करती हैं। हालांकि, यदि समूह की संस्थाओं (जो आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं हैं) के लिए लेखापरीक्षा/गैर-लेखापरीक्षा कार्यों से जुड़ी एक ऑडिट फर्म के संबंध में एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए समूह में आरबीआई विनियमित संस्थाओं में से किसी के द्वारा विचार किया जा रहा है, तो संबंधित आरबीआई विनियमित संस्था के निदेशक मंडल/एसीबी को यह सुनिश्चित करेगी कि हितों का कोई टकराव नहीं है और लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है, और इसे निदेशक मंडल/एसीबी की बैठकों के कार्यवृत्त में उपयुक्त रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।

यदि चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म का कोई भागीदार समूह में आरबीआई विनियमित इकाई में निदेशक है, तो उक्त फर्म को समूह में आरबीआई विनियमित संस्थाओं में से किसी के लिए भी एससीए के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, अगर किसी ऑडिट फर्म को समूह में आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं में से किसी के द्वारा एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा है, जिसका भागीदार किसी समूह इकाई (जो आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं है) में एक निदेशक है, उक्त ऑडिट फर्म एसीबी के साथ-साथ निदेशक मंडल के समक्ष उचित रूप से प्रकटीकरण करेगा।

(**) आरबीआई विनियमित इकाई के एससीए/एसए के रूप में एक ऑडिट फर्म की नियुक्ति से पहले, इस नियुक्ति और आरबीआई विनियमित उस इकाई में किसी भी गैर-लेखापरीक्षा कार्यों को पूरा करने के बीच कम से कम एक





वर्ष का समय अंतराल होना चाहिए या समूह में आरबीआई विनियमित अन्य इकाई में किसी लेखापरीक्षा/गैर-लेखापरीक्षा कार्यों को पूरा किया जाना चाहिए। यह शर्त संभावित रूप से अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से लागू होगी। इसलिए, यदि कोई ऑडिट फर्म इकाई में गैर-लेखापरीक्षा कार्य में शामिल है और/या समूह में आरबीआई विनियमित अन्य संस्थाओं में कोई लेखापरीक्षा/गैर-लेखापरीक्षा कार्य करता है और एससीए के रूप में नियुक्ति की तिथि से पहले इकाई की उक्त कार्य को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पूरा करता है या छोड़ देता है, तो उक्त ऑडिट फर्म वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इकाई के एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगी।

(***) निम्नलिखित विशेष कार्य (सांकेतिक सूची) के मामले में सामान्य रूप से विरोध की स्थिति नहीं उत्पन्न की जाएगी - कर लेखापरीक्षा, कराधान मामलों पर कर प्रतिनिधित्व और सलाह, अंतरिम वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, सांविधिक या विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र, वित्तीय जानकारी या उसके खंडों पर रिपोर्टिंग।

10. कार्यकाल और रोटेशन

लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षा फर्मों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, बैंक एससीए को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करेगा। एससीए की नियुक्ति वार्षिक आधार पर पात्रता मानदंडों को पूरा करने और बैंक के एसीबी/निदेशक मंडल और आरबीआई द्वारा अनुमोदन के अधीन की जाएगी।

किसी लेखापरीक्षा फर्म को लेखापरीक्षा कार्यकाल के एक कार्यकाल के पूर्ण या आंशिक रूप से पूरा होने के बाद छह वर्ष (दो कार्यकाल) के लिए बैंक में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। यदि एक लेखापरीक्षा फर्म ने आंशिक कार्यकाल (1 वर्ष या 2 वर्ष) के लिए किसी इकाई का लेखापरीक्षा किया है और फिर शेष कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया गया है, तो वे आंशिक कार्यकाल के छह वर्ष के लिए उसी संस्था में पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र नहीं होंगे। हालाँकि, ऑडिट फर्म अन्य संस्थाओं का सांविधिक लेखापरीक्षा करना जारी रख सकती हैं।

11. कार्य समाप्ति

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त एक ऑडिट फर्म को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति से उसके कार्यकाल के दौरान हटाया जा सकता है।

12. एससीए का पेशा मानक

एससीए अपनी लेखापरीक्षा जिम्मेदारियों के निर्वहन में उच्चतम परिश्रम सहित प्रासंगिक पेशेवर मानकों द्वारा कड़ाई से निर्देशित होंगे।

13. एससीए की गुणवत्ता पर फीडबैक

निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति वार्षिक आधार पर एससीए के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करेगी। लेखापरीक्षा उत्तरदायित्वों में कोई गंभीर चूक/लापरवाही या एससीए की ओर से आचरण के मुद्दे या प्रासंगिक माने जाने वाले किसी अन्य मामले को वार्षिक लेखापरीक्षा के पूरा होने के दो महीने के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया जाएगा। ऐसी रिपोर्ट लेखापरीक्षा फर्म के विवरण के साथ एसीबी के अनुमोदन से भेजी जाएगी।

लेखापरीक्षा कार्यों को पूरा करने में चूक के परिणामस्वरूप किसी इकाई के वित्तीय विवरणों का गलत विवरण, और संस्थाओं के संबंध में एससीए की भूमिका और जिम्मेदारियों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों से संबंधित कोई उल्लंघन/चूक होने की स्थिति में, एससीए को प्रासंगिक सांविधिक/नियामक ढांचे के तहत उपयुक्त रूप से निपटाए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

14. नीति की समीक्षा

यह नीति किसी भी अंतरिम नीति संशोधन के अधीन 2024-25 तक वैध है।



15. लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय

एससीए को लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय के भुगतान के संबंध में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक निर्देशों द्वारा निर्देशित होगा।

16. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश

आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।

17. अन्य मद

- क. सितंबर को समाप्त छमाही के लिए मौजूदा एससीए की सेवाओं का उपयोग करने के लिए आरबीआई से सूचना प्राप्त होने के मामले में, इसके लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी से परिचालन सुविधा अनुमोदन प्राप्त करने पर विचार किया जाना है और एसीबी को इस संबंध में सूचित किया जाना है।
- ख) निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) प्रासंगिक नियामक प्रावधानों, मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के संदर्भ में लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और हितों के टकराव की स्थिति की निगरानी और मूल्यांकन करेगी। इस संबंध में किसी भी मामले को एसीबी द्वारा बैंक के निदेशक मंडल और आरबीआई के संबंधित वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रबंधक (एसएसएम)/क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) को सूचित किया जा सकता है। एससीए को अनुबंध III के अनुसार संलग्न प्रारूप में स्वतंत्रता घोषणापत्र प्रस्तुत करनी होगी।
- ग) बैंक इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के लिए ऑडिट फर्म(मों) के अनुपालन की पुष्टि करेगा और उनकी पात्रता से संतुष्ट होने के बाद, प्रपत्र-ग (अनुलग्नक-II) के प्रारूप में भारतीय रिज़र्व बैंक को एक प्रमाणपत्र के साथ नामों की सिफारिश करेगा जिसके साथ यह बताया जाएगा कि एससीए के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित लेखापरीक्षा फर्मों इस निमित्त भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों का अनुपालन करती हैं।
- घ) सामान्य भागीदारों और/या एक ही नेटवर्क के तहत लेखापरीक्षा फर्मों के एक समूह को एक इकाई माना जाएगा और उन्हें तदनुसार एससीए के आबंटन के लिए विचार किया जाएगा। ऑडिट फर्मों के समान नेटवर्क के तहत किसी अन्य/सहयोगी ऑडिट फर्म द्वारा साझा/उप-अनुबंध लेखापरीक्षा की अनुमति नहीं है। आने वाली ऑडिट फर्म पात्र नहीं होगी यदि ऐसी ऑडिट फर्म ऑडिट फर्मों के एक ही नेटवर्क के तहत सेवामुक्त लेखापरीक्षक या ऑडिट फर्म से जुड़ी हो।
- ङ) एक ही संदर्भ वर्ष के लिए संस्था के लिए बड़े एक्सपोजर वाली इकाई और किसी भी इकाई की लेखापरीक्षा को भी लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता का आकलन करते समय स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। आरबीआई यह भी निर्धारित किया गया है कि बोर्ड/एसीबी यह देखेगा कि हितों का कोई टकराव नहीं है और लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है।
- च) विशेष वर्ष के लिए और बाद के जारी वर्षों के लिए हमारे बैंक में नियुक्ति पर विचार करने के लिए लिखित रूप में ऑडिट फर्म से अप्रतिसंहरणीय सहमति प्राप्त की जानी है।



अनुबंध -1

पात्रता प्रमाण पत्र (फर्म का नाम और फर्म पंजीकरण संख्या)

क) फर्म का विवरण :

विगत वर्ष की 31 मार्च तक संस्था की आस्ति की मात्रा	कम से कम 3 वर्षों के लिए फर्म से संबंधित* पूर्णकालिक भागीदार(एफटीपी) की न्यूनतम संख्या	कम से कम 3 वर्षों के लिए फर्म से संबंधित कुल एफटीपी में से सहयोगी सनदी लेखाकार (एफसीए) भागीदार की न्यूनतम संख्या	सीआईएसए/ आईएसए अहर्ता सहित पूर्णकालिक भागीदारों/ प्रदत्त सीए की न्यूनतम संख्या	लेखापरीक्षा अनुभव की न्यूनतम वर्ष#	पेशेवर कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या

*विशेष रूप से सभी वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) और रु.1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले यूसीबी/एनबीएफसी से संबंधित

#एससीए/ एसए और एसबीए के रूप में अनुभव के लिए विवरण अलग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

ख. अतिरिक्त सूचना :

- स्थापना प्रमाणपत्र की प्रति
- क्या फर्म किसी ऑडिट फर्मों के नेटवर्क का सदस्य है या ऐसे किसी फर्म का भागीदार जो किसी अन्य ऑडिट फर्म में भागीदार है? यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।
- क्या फर्म को वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) या अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई)/ आरबीआई/एनबीएफसी/ यूसीबी द्वारा एससीए/ सीए के रूप में नियुक्त किया गया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।
- क्या फर्म को किसी नियामक/सरकारी एजेंसी द्वारा लेखापरीक्षा कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।
- पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी वित्तीय नियामक/ सरकारी एजेंसी द्वारा फर्म के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि का विवरण, बंद और लंबित दोनों।



**ख) फर्म की घोषणा**

फर्म वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर)/ यूसीबी / एनबीएफसी (यथा लागू) के एससीएस/ एसए की नियुक्ति के संबंध में आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों का अनुपालन करती है। यह प्रमाणित किया जाता है कि न तो मुझे और न ही हमारे किसी भागीदार या मेरे/उनके परिवार के सदस्य (परिवार में पति/पत्नी के अलावा बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन या उनमें से कोई भी जो पूरी तरह से या मुख्य रूप से सनदी लेखाकार पर निर्भर है) या जिस फर्म/ कंपनी में मैं/ वे भागीदार/ निदेशक हैं, उसे किसी बैंक/ वित्तीय संस्थान द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है।

यह पुष्टि की जाती है कि उपरोक्त दी गई जानकारी सत्य और सही है।

भागीदार के हस्ताक्षर

(भागीदार का नाम)

दिनांक:

(इस घोषणा के प्रयोजन के लिए, उन कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधाएं जहां फर्म के भागीदार को व्यावसायिक क्षमता में गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जिसमें कोई वित्तीय हित नहीं हो, शामिल नहीं किया जाएगा।)

